संख्या /No. 21-2/2018-सेवा पूति

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
CENTRAL HINDI DIRECTORATE
शिक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF EDUCATION
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
पश्चिमी खंड–7, रामकृष्णपुरम्, WEST BLOCK-VII, RAMA KRISHNA PURAM
नई दिल्ली /NEW DELHI-110066

तार : राजभाषा
Tele : Rajbhasha
फोन /Phone : 26178454, 26105211
26105213, 26105214, 26105243
26105312
फैक्स/Fax : 26100758, 26102575
www.chd.mhrd.gov.in
www.chdpublication.mhrd.gov.in

दिनांक /DATED : 24.02.2021

सेवा में,

विषयः <u>निदेशालय के ग्रीष्म ऋतु हेतु दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक के लिए 61 डैजर्ट कूलरों, वाल फैन, पैडस्टल फैन एवं टेबल फैनों की मरम्मत एवं रख-रखाव तथा डैजर्ट कूलरों में पानी भरने के ठेका देने हेतु निर्विदाएं आमंत्रित।</u>

महोदय,

इस निदेशालय द्वारा 01.04.2021 से 30.09.2021 तक के लिए कार्यालय के डैजर्ट कूलरों, वाल फैन, पैडस्टल फैन एवं टेबल फैनों की मरम्मत एवं रख-रखाव तथा डैजर्ट कूलरों में पानी भरने का ठेका दिया जाना है। कूलरों की मरम्मत एवं रख-रखाव एवं पानी भरने के ठेके की शर्तें निम्नलिखित प्रकार से हैः-

1. ठेके की अवधि में कूलरों की मरम्मत व रख-रखाव की राशि (प्रति कूलर)
2. प्रारंभिक मरम्मत, तेलीकरण, पैड बदलना व सफाई।
3. कूलर की टंकियों में प्राईमर/पेंट करना (अन्दर तथा बाहर)।
4. कूलरों को चालू करने से पहले यदि कोई मरम्मत उनके पुर्जे बदले जाएगें तो उसका भुगतान अनुमोदित दरों के अनुसार किया जायेगा।
5. जहां भी आवश्यक हो ऊपरी-प्लग, तीन कोर तार लगाई जाएगी ,जिनका कोई भुगतान देय नही होगा।
6. प्रतिदिन कूलरों में सुबह और दोपहर नियमित अंतराल से पानी भरने के लिए व्यवस्था करनी होगी ताकि पानी की कमी के कारण कोई कूलर बंद न करने पडे ओर शिकयात न आने पाए। पानी भरने के लिए ठेकेदार द्वारा दो मजदूर रखने होगें। जिनकी मजदूरी निदेशालय द्वारा अलग से की जाएगी। प्रति मजदूर की दिहाडी एक महीने की कितनी होगी लिखना होगा।
7. ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद सभी कूलर की सफाई करके चालू अवस्था में सुपुर्द करने होगे।
8. सभी डेजर्ट कूलरों में 15-15 दिन के अंतराल में पैट्रोल या मिट्टी का तेल आदि केमिकल डालना अनिवार्य होगा ताकि उनमें मच्छर पैदा न हों तथा सफाई का विशेष ध्यान देना फर्म की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
9. यदि कोई कूलर एक सप्ताह से अधिक किसी पुर्जे की मरम्मत या उसको बदलने की वजह से बंद रहेगा तो उस कूलर के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा तथा इस मामले में मरम्मत एवं रख-रखाव का खर्च फर्म द्वारा भरा जाएगा।
10. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रद्द कर सकते हैं। अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

यदि उपर्युक्त शर्तो के अधीन आप ठेका लेने के इच्छुक हो तो कृपया अपनी निविदाएं अधोहस्ताक्षरी के पास सील बंद लिफाफे में दिनांक 25.03.2021 को प्रात 10:00 बजे तक अवश्य भेज दें। निविदाएं उसी दिन प्रातः 11:30 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जाएंगी।

2/-